रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082022-238079 CG-DL-E-13082022-238079

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3625] No. 3625] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2022/श्रावण 21, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2022/SHRAVANA 21, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का. आ. 3798(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशिष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

5464 GI/2022 (1)

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगाः

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

# अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

## जिला: पश्चिम बर्धमान

क्रम	थाना	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लाट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		
संख्या				एकड़ में	हेक्टेयर में	प्रभावित भाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	फरीदपुर	नडीहा — 92	103	0.010	0.0040	पूर्व भाग
		(आर. एस.)	104	0.050	0.0202	मध्य भाग
			111	0.100	0.0405	मध्य भाग
			125	0.245	0.0992	मध्य भाग
			126	0.315	0.1275	मध्य भाग
			128	0.360	0.1457	मध्य भाग

फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 2 / ईसी / 2336]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

**S.** O. 3798(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under subsection (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

#### **DISTRICT: PASCHIM BARDHAMAN**

Sl. No.	PS	Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Affected Portion
				Acre	Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Faridpur	Nadiha-92	103	0.010	0.0040	East Portion
		(R. S.)	104	0.050	0.0202	Middle Portion
			111	0.100	0.0405	Middle Portion
			125	0.245	0.0992	Middle Portion
			126	0.315	0.1275	Middle Portion
			128	0.360	0.1457	Middle Portion

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2336]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)